

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ.1184(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट** का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

- I. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:
 1. प्रो. (डॉ.) नवीन सेठ, कुलपति, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात
- II. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :
 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- पदेन सदस्य
- III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :
 3. संस्थान के निदेशक
- पदेन सदस्य
- IV. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :
 4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार
- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
 5. रिक्त
- V. धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :
 6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
 7. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
 8. प्रो. विजयलक्ष्मी सक्सेना, जनरल प्रेसीडेंट इलेक्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन
 9. डॉ. विजय चौथावाले, हेल्थ केयर-बायोटेक परामर्शदाता, सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
 10. डॉ. प्रदीप कुमार दवे, अध्यक्ष, रॉकलैंड हॉस्पिटल, दिल्ली
- VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :
 11. डॉ. जितेन्द्र अमलानी, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, पीडीयू मेडिकल कॉलेज, राजकोट, गुजरात
 12. डॉ. राकेश कोचर, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
 13. डॉ. वी के गौतम, प्रोफेसर, आर्थोपेडिक्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली
 14. डॉ. इला डी देसाई, प्रोफेसर, रेडियोलॉजी, बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद

VII. संसद सदस्य [धारा 4 के खंड (छ) के तहत] :

15. रिक्त

16. रिक्त

17. रिक्त

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा.सं. जैड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई.IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 1184(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby constitutes the **All India Institute of Medical Sciences, Rajkot** consisting of the following members, namely :-

I. Member under clause (a) of Section 4 :

1. Professor (Dr.) Navin Sheth, Vice Chancellor, Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat

II. Member under clause (b) of Section 4 :

2. Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India -ex-officio

III. Member under clause (c) of Section 4:

3. The Director of the Institute - ex-officio

IV. Member under clause (d) of Section 4:

4. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India – Representative of Ministry of Finance
5. Vacant

V. Member under clause (e) of Section 4 :

6. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee
7. Chief Secretary, Government of Gujarat or his/her nominee
8. Prof. Vijaylakshmi Saxena, General President Elect, Indian Science Congress Association
9. Dr. Vijay Chauthawale, Healthcare-Biotech Consultant, CSIR- Central Drug Research Institute, Lucknow
10. Dr. Pradeep Kumar Dave, Chairman, Rockland Hospital, Delhi

VI. Member under clause (f) of Section 4 :

11. Dr. Jitender Amlani, Professor & HoD, Department of Urology, PDU Medical College, Rajkot, Gujarat
12. Dr. Rakesh Kochhar, Professor & HoD, Department of Gastroenterology, PGIMER Chandigarh
13. Dr. V.K. Gautam, Professor of Orthopaedics, Maulana Azad Medical College, Delhi
14. Dr. Ila D. Desai, Professor of Radiology, BJ Medical College, Ahmedabad

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

15. Vacant
16. Vacant
17. Vacant

The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.